श्रीमान पटवारी हलका मेवदा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:-0744-2325871

GCMS NO.-2003/00060
मिसल नम्बर- 316/2006
राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

बनाम

1.पुरुषोत्तम पुत्र श्री रामरतन
2.रामपाली बेवा गोविंद मृतक जरिये कायम मुकामात महेन्द्र कुमार पुत्र श्री पुरुषोत्तम जाति- ब्राह्मण निवासीगण नान्दाना उर्फ बड़गांव कोटा।

-:निर्णय:-

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

दिनांक 26/8/25

प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस बाबत् प्रस्तुत किया गया कि सिवायचक खाते मे जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 के अनुसार ग्राम नान्दाना उर्फ बड़गांव में खसरा नम्बर 163 रकबा 04 बिस्वा किस्म गैर मुमकिन चाह आराजी स्थित थी। दौराने सेटलमेंट उक्त नम्बर का नए खसरा नम्बर 287 रकबा 0.02 है0, किस्म गैर मुमकिन चाह बनाये गये। भू प्रबंध विभाग द्वारा उक्त खसरा नम्बर को अप्रार्थीगण के खाते 0.02 है0 रकबा दर्ज किया गया है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 287 रकबा 0.02 है0 भूमि वाके ग्राम नान्दाना उर्फ बड़गांव को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जावें। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल मिलान क्षेत्रफल 2038 से 2057 जमाबंदी संवत् 2038 से 2057 जमाबंदी संवत् 2034 से 2037 जमाबंदी 2055 से 2058 संलग्न किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। वर्तमान में तहसीलदार लाडपुरा से मौका रिपोर्ट पुनः प्राप्त की गई।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में खसरा नम्बर 287 रकबा 0.02 है0 महेन्द्र कुमार पुत्र श्री पुरुषोत्तम जाति ब्राह्मण साकिन देह के नाम दर्ज रिकोर्ड है। मौके पर वर्तमान मे कुआं व मकान बना हुआ है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का गहनापूर्वक अध्ययन किया।

वर्तमान मे भूमि महेन्द्र पुत्र श्री पुरूषोत्तम के नाम दर्ज रिकोर्ड है। तथा तहीसलदार लाडपुरा द्वारा ना तों प्रतिवादी के सेटलमेंट पूर्व के खाते की नकल प्रस्तुत की गई है। और ना ही यह उल्लेखित किया गया है कि प्रतिवादी के खाते मे भू प्रबंध विभाग द्वारा क्या परिवर्तन किया गया है। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा मात्र एक खसरे को आधार बनाकर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो न्यायोचित नही है।

धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा का यह कृर्तव्य है कि वह सम्पूर्ण खाते का विवेचन करता तथा यह स्पष्ट करता कि दौराने भू प्रबंध अप्रार्थीगण का रकबा परिवर्तित किया गया हो।

उक्त तथ्य को प्रमाणित करने मे तहसीलदार लाडपुरा असफल रहा है। अतः हमारे विनम्र मत मे पूर्ण तथ्यों, दस्तावेजों, तथा खाते के पूर्ण विवचेन के अभाव मे यह प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा